–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 122/2024

उनवान

1. रफीक पुत्र अनवर खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद

–– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. लतीफ पुत्र अनवर खां
2. शकीला बेगम पुत्री इस्लामुदीन जाति मुसलमान नि. रामसर, नसीराबाद,
3. अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल रहीम जाति कुरैशी मुसलमान नि. रामसर, नसीराबाद
4. राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद।

–– अप्रार्थीगण :– 2 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत,
4 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: आदेश :– दिनांक :– 9.12.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 7383, 7384, 7385 व 7386 के वंर्किग खसरा नम्बर 5251 मि. के चौसाला खसरा नम्बर 4954, हाल खसरा नम्बर 8947के वंर्किग खसरा नम्बर 6608 मि. के चौसाला खसरा नम्बर 5122, हाल खसरा नम्बर 8743 के वंर्किग खसरा नम्बर 6539 के चौसाला खसरा नम्बर 5102 प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी उनके पिता अनवर खां पुत्र सुबान के नाम चौसाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिनकी मृत्यु के बाद आराजी मुतनाजा नियमानुसार जैतन, रफीक, लतीफ व इस्लामुददीन के नाम खाता संख्या 164/148 के अनुसार खुलनी चाहिये थी। किन्तु उक्त खाता में अनवर की विरासत लतीफ व इस्लामुददीन के नाम ही दर्ज की गयी। जेतन की मृत्युके बाद उक्त आराजी पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में गलत विरासत के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ने खसरा नम्बर 8743 को अप्रार्थी संख्या 3 को बैचान कर दिया है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा को बैचान करने व प्रार्थी का हिस्सा हडपनें पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी [illegible] संख्या 2 के पिता की निजी भूमि है। जिस कारण उक्त आराजी अप्रार्थी [illegible] के नाम दर्ज की गयी। चौसाला खसरा नम्बर 4954 रकबा [illegible]–0, 5122 रकबा [illegible]76–10–0, 5100 रकबा 161–10–0, 5102 रकबा 3–15–10 के दस्तावेज प्रार्थी [illegible] पेश किये गये है। [illegible] उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण मिलान, जमाबंदी पेश नही की है। प्रार्थी की पुश्तैनी [illegible] का रकबा कौन सा था यह भी स्पष्ट नही किया गया है। [illegible] प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

किया जावे। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8743 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के नाम तथा शेष हाल खसरा नम्बर अपार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में इस्लामुददीन, लतीफ पि. अनवर के नाम दर्ज है। पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे आराजी मुतनाजा प्रार्थी के पिता अथवा पुश्तैनी सिद्व होती हो। आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर का रकबा व सम्पूर्ण मिलान व अभिलेख कर स्थिति भी स्पष्ट नही की गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 रिकाडेर्ड खातेदार है। हाल इन्द्राज प्रथम दुष्टया त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी की है। साबिक राजस्व अभिलेख में भूमि प्रार्थी अथवा उनके पूर्वजों की खातेदारी में नही है। कब्जे के तथ्य मूल वाद में ही निर्धारित होगे। रिकार्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. **सुविधा का संतुलन** :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :–ग्राम रामसर की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.12.17 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested